न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 37/2019

वदीगण

1. अमीयादेवी पत्नि भूतारामजी जाति मेघवाल निवासी सिंघावास
2. तलसाराम पुत्र जोराजी जाति कलबी निवासी जोडवास
3. मु.डाईकंवर पत्नी सरदारसिंहजी जाति राजपूत निवासी रानीवाडा कला
4. बाबूसिंह
5. अमृतसिंह पिसरान शांतीयाजी जाति दरोगा निवासी जोडवास
6. अमीयादेवी पत्नि भूरारामजी जाति रेबारी निवासी वडलू तहसील रानीवाडा जिला जालोर

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाडा
2. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक
3. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीनमाल जरिये शाखा सचिव

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा

–: निर्णय :–

दिनांक 01.03.2021

1. वदीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53 बाबत् बंटवाडा व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 136 बाबत् रेकर्ड दूरूस्ती का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा जोडवास तहसील रानीवाडा जिला जालोर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 2 रकबा 0.65 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 7/1062 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 7.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 8/1106 रकबा 2.17 हेक्टेयर जूमले रकबा 10.56 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी चालू जमाबंदी में अमीया पत्नि भूताराम हिस्सा 30/137 जाति मेघवाल साकिन सिंघावास खातेदार, अलावा जोत नाकाबिल काश्त हिस्सा 30/137 सा. [illegible] खातेदार, मु डाईकंवर पत्नि सरदारसिंह हिस्सा 30/137 जाति दरोगा साकिन रानीवाडा कला खातेदार, शांतिया पुत्र रामजी हिस्सा 30/137 जाति दारोगा साकिन सिंघावास खातेदार के नाम [illegible] हैं। उक्त आराजी की खातेदारी में वादी संख्या 3 अर्थात मु. डाईकंवर पत्नि सरदारसिंह हिस्सा 30/137 जाति दारोगा साकिन रानीवाडा कलां खातेदार की बजाय मु.डाईकंवर पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सरदारसिंह हिस्सा 30/137 जाति राजपूत साकिन रानीवाडा कलां खातेदार तथा वादी संख्या 4 व 5 के पिता शांतिया पुत्र रामजी हिस्सा 30/137 जाति दारोगा साकिन सिंगावास खातेदार के बजाय शांतिया पुत्र रामजी हिस्सा 30/137 जाति दरोगा सा. देह खातेदार जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे तथा खातेदार शांतिया फौत होने से उक्त शांतिया के वारिसान के नाम फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत कर वादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में निष्पादीत हकतर्कनामा दिनांक 01.4.2019 के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

2. वदीगण की जाति व स्थान की बाद दुरूस्ती वादग्रस्त आराजी मौजा जोडवास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 2 रकबा 0.65 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.27 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 7/1062 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 7.23 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 8/1106 रकबा 2.17 हेक्टेयर जुमले रकबा 10.56 हेक्टेयर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वाद पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार बंटवाडा कर वादग्रस्त आराजी में स्थित वादीगण के हिस्से माफिक दक्त आराजी खसरा नम्बर 8 में से लाल रंग में दर्शित रकबा 2.3124 हेक्टेयर आराजी वादीया संख्या 1 को तथा पीले रंग से दर्शित रकबा 2.3124 हेक्टेयर आराजी वादी संख्या 4 व 5 को बैंगनी रंग से दर्शित 2.3124 हेक्टेयर आराजी वादी संख्या 3 को अलग–अलग बंट में दी जावे तथा उक्त खसरा नम्बर 8 में से आसमानी रंग से दर्शित आराजी रकबा 0.08 हेक्टेयर आराजी वादी संख्या 3 के बंट की आराजी तक जाने हेतु रास्ते के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में तथा शेष काले रंग से दर्शित खसरा नम्बर 8 में से 0.22 हेक्टेयर आराजी नाकाबिल काश्त प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में दी जावे। तथा वादग्रस्त आराजी में स्थित वादी संख्या 2 के 17/137 हिस्से की आराजी अर्थात रकबा 1.31 हेक्टेयर आराजी खसरा नम्बर 8/1106 रकबा 2.17 में से हरे रंग से दर्शित आराजी रकबा 1.31 हेक्टेयर आराजी वादी संख्या 2 को अलग बंट में दी जावे तथा खसरा नम्बर 8/1106 में से शेष काले रंग से दर्शित रकबा 0.86 हेक्टेयर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में नाकाबिल काश्त रखी जावे तथा वादग्रस्त आराजी मेंसे खसरा नम्बर 7/1062 रकबा 0.24 हेक्टयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.65 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 3 रकबा 0.27 हेक्टेयर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में अलग दी जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश दिया जावे।

3. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा जोडवास के खाता संख्या 13 संवत् 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर क्रमश 2, 3, 7/1062, 8, 8/1106 रकबा क्रमश 0.65, 0.27, 0.24, 7.23, 2.17 हैक्टेयर जूमले रकबा 10.56 हेक्टेयर कुल लगान 20.58 है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौके अनुसार वादी व प्रतिवादी मिटस एंड बाउण्डस के आधार पर वाद पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ठ अ अनुसार वादी व प्रतिवादी 1 काबिज है। वादीगण की जाति व साकिन दुरस्त योग्य है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया वाद पत्र व जवाब के कथनों व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर वादीगण व प्रतिवादी के श[illegible] आराजी मौजा जोडवास के खसरा नम्बर 2, 3, 7/1062, 8, 8/1106 रकबा क्रमश [illegible]5, 0.27, 0.24, 7.23, 2.17 हेक्टेयर जूमले रकबा 10.56 हेक्टेयर [illegible] प्रतिवादी के मध्य न्यायालय द्वारा खातेदारो को रास्ते की सुविधा देते हुए हक हि[illegible] अनुसार कब्जा काश्त व मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक 101 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित पत्रांक/राजस्व/2021/71 दिनांक 05.02.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

5. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण के अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा को सुना गया जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं की। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

6. वाद में वादीगण द्वारा वादी संख्या 3 अर्थात मु. डाईकंवर पत्नि सरदारसिंह जाति राजपूत साकिन रानीवाडा कलां खातेदार की बजाय मु.डाईकंवर पत्नि सरदारसिंह जाति दारोगा साकिन रानीवाडा कलां खातेदार तथा वादी संख्या 4 व 5 के पिता शांतिया पुत्र रामजी जाति दारोगा साकिन जोडवास खातेदार के बजाय शांतिया पुत्र रामजी जाति दरोगा सा. सिंघावास देह खातेदार जरिये रेकर्ड दुरूस्ती हेतु भी धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि.1956 के तहत भी वाद पेश है। इस संबंध में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी अपने जवाब व बहस में जाति व साकिन का नाम दुरूस्त योग्य बताया है। हमने वादीगण द्वारा पेश जमाबदी मौजा जोडवास संवत 2071–2074 की पेश की जिसमें मु. डाई कवर जोजे सरदारसिंह राजपूत सा. रानीवाडा कलां व शान्तिया वल्द रामजी कौम दरोगा दर्ज है। व जमाबंदी मौजा जोडवास संवत 2075–2078 की पेश की जिसमें मु डाईकवर पत्नि सरदारसिंह जाति दारोगा सा. रानीवाडा कलां खातेदार व शान्तिया पुत्र रामजी जाति दारोगा सा. सिंघावास खातेदार दर्ज है। इस प्रकार जमाबंदी संवत 2075–2078 में वादीगण संख्या 3 मु डाईकंवर पत्नि सरदासिंह की जाति राजपूत की बजाय दारोगा व वादी संख्या 4 व 5 के पिता शांतिया पुत्र रामजी जाति दारोगा के साकिन जोडवास की बजाय सिंघावास दर्ज हुआ है। जो एक लिपिकीय त्रूटि प्रतित होती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लिपिकिय व गणितिय त्रूटि को सुधारा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादी संख्या 3 की जाति व वादी संख्या 4 व 5 के पिता शान्तिया के साकिन जोडवास के स्थान पर सिंघावास त्रूटिपूर्ण दर्ज हुए है। जिसको सुधारना न्यायसंगत प्रतित होता है। अतः तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा जोडवास के जमाबंदी संवत 2075–2078 में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती में **मु. डाईकंवर पत्नि सरदारसिंह की जाति दारोगा की बजाय राजपूत व शांतिया पुत्र रामजी जाति दारोगा के साकिन सिंघावास की बजाय जोडवास के रूप** में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

1.	अमृतसिंह वल्द शान्तिया 1/2 बाबूसिंह वल्द शान्तिया 1/2 कौम दारोगा सा. देह खातेदार	8	7.23	2.3125	बारानी सोयम	आसमानी	4.65
2.	अमियादेवी पत्नि भूताराम कौम मेघवाल सा. सिंघावास खातेदार। रहन – BOI शाखा रानीवाडा	8	7.23	2.3125	बारानी सोयम	हरा	4.625
3.	अमियादेवी पत्नि भूराराम कौम रेबारी सा. वडलू खातेदार।	8	7.23	2.3125	बरानी सोयम	लाल	4.625
4.	तलसाराम वल्द जोराजी कौम कलबी सा. देह खातेदार रहन–RMGB बडगांव	8/1106	2.17	1.31	बरानी सोयम	पीला	2.62
5.	अलावाजोत नाकाबिल काश्त सा. देह खातेदार।	2	0.65	0.65	बा.सो.	गुलाबी	1.30
		3	0.27	0.27	गै.मू.		0.00
		7/1062	0.24	0.24	बा. सो.		0.48
		8	7.23	0.2925	बा. सो.		0.585
		8/1106	2.17	0.86	बा. सो.		1.72

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 से सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. अमीयादेवी पत्नि भूतारामजी जाति मेघवाल निवासी सिंघावास 2. तलसाराम पुत्र जोराजी जाति कलबी निवासी जोडवास 3. मु.डाईकंवर पत्नी सरदारसिंहजी जाति राजपूत निवासी रानीवाडा कला 4. बाबूसिंह 5. अमृतसिंह पिसरान शांतीयाजी जाति दरोगा निवासी जोडवास 6. अमीयादेवी पत्नि भूरारामजी जाति रेबारी निवासी वडलू तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रानीवाडा 2. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक 3. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीनमाल जरिये शाखा सचिव

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 व 136 राज.भू–राज0 अधि 1956

राजस्व वाद संख्या 37/2019

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित, मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	अमृतसिंह वल्द शान्तिया 1/2 बाबूसिंह वल्द शान्तिया 1/2 कौम दारोगा सा. देह खातेदार	8	7.23	2.3125	बारानी सोयम	आसमानी	4.65
2.	अमियादेवी पत्नि भूताराम कौम मेघवाल सा. सिंघावास खातेदार। रहन – BOI शाखा रानीवाडा	8	7.23	2.3125	बारानी सोयम	हरा	4.625

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested

3.	अमियादेवी पत्नि भूराराम कौम रेबारी सा. वडलू खातेदार।	8	7.23	2.3125	बरानी सोयम	लाल	4.625
4.	तलसाराम वल्द जोराजी कौम कलबी सा. देह खातेदार रहन–RMGB बडगांव	8/1106	2.17	1.31	बरानी सोयम	पीला	2.62
5.	अलावाजोत नाकाबिल काश्त सा. देह खातेदार।	2	0.65	0.65	बा.सो.	गुलाबी	1.30
		3	0.27	0.27	गै.मू.		0.00
		7/1062	0.24	0.24	बा. सो.		0.48
		8	7.23	0.2925	बा. सो.		0.585
		8/1106	2.17	0.86	बा. सो.		1.72

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.03.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	ज्वाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:08:48 IST
Reason: SelfAttested